भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

04.03.2020 के

तारांकित प्रश्न सं. 184 का उत्तर

दलाली संबंधी गतिविधियां

***184. श्री बिद्युत बरन महतोः**
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने टिकट घोटालों, धन-शोधन संदेहपूर्ण आतंकी वित्तपोषण में संलिप्त एक बड़े गिरोह का हाल ही में पर्दाफाश किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषियों द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली क्या है;
(ग) क्या इस संबंध में आज तक कोई गिरफ्तारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या रेलवे ने दलाली संबंधी गतिविधियों के विरुद्ध 'आपरेशन थंडर' आरंभ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) रेलवे द्वारा अपनी आरक्षण संबंधी साइटों को अभेद्य एवं हैकिंग-मुक्त बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दलाली संबंधी गतिविधियों के संबंध में दिनांक 04.03.2020 को लोक सभा में श्री बिद्युत बरन महतो और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे के तारांकित प्रश्न सं.184 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ग): रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल सुरक्षा बल चौकी, यशवंतपुर, बेंगलुरू सिटी में रेल अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत दर्ज अपराध सं.758/2019 दिनांक 30.10.2019 के आपराधिक मामले की जांच में एएनएमएस अवैध रेल टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर की बिक्री में गुलाम मुस्तफा नाम एक अभियुक्त को 08.01.2020 को गिरफ्तार किया गया। इसे चलाने के लिए उसे कुछ अवैध सॉफ्टवेयर, उन्नत हैकिंग अनुप्रयोगों, क्रिप्टो करंसी अकाउंट का उपयोग करते पाया गया और इसके अलावा, जांच के दौरान उसके लैपटॉप से 3000 बैंक शाखाओं की एक सूची बरामद हुई। ई-टिकटों के अवैध सॉफ्टवेयर चलाने से जुड़े गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से मिले सुराग के आधार पर भारतीय रेलों में रेल सुरक्षा बल की चौकियों में कई मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 25.02.2020 तक कुल 82 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और इनकी तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा, इस मामले में राज्य पुलिस/दिल्ली पुलिस द्वारा भी निम्नलिखित मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें तफ्तीश चल रही है:-

- **(i) कर्नाटक पुलिस (राजगोपाल नगर पुलिस स्टेशन) ने आईपीसी की धारा 419, 420, 34 और आईटी अधिनियम की धारा 43, 65, 66, 66(सी), 66(डी), 70 के अंतर्गत दिनांक 15.01.2020 को अपराध सं.16/2020 दर्ज किया है, जिसकी तफ्तीश चल रही है।**
- **(ii) उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468 व 471 और आईटी अधिनियम की धारा 43, 65, 66, 66(सी), 66(डी), 70 के अंतर्गत दिनांक 02.12.2019 को अपराध सं.330/19 दर्ज किया गया है।**
- **(iii) उत्तर प्रदेश पुलिस ने हरैया पुलिस स्टेशन, बस्ती में आईपीसी की धारा 34, 419, 420 और आईटी अधिनियम की धारा 43, 65, 66, 66(सी), 66(डी), 70 के अंतर्गत दिनांक 08.12.2019 को अपराध सं.269/19 दर्ज किया है।**
- **(iv) दिल्ली पुलिस की पी.एस. स्पैशल सैल (एसबी), दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 420/120बी/34 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के अंतर्गत दिनांक 20.02.2020 को अपराध सं.0045/2020 दर्ज किया है।**

उक्त अवैध सॉफ्टवेयर यात्री के फार्म में स्वत: ही जानकारी भरता है, लॉगइन को स्वत: ही पढ़ लेता है और कैप्चा भर देता है, बैंक के ओटीपी को बाईपास कर देता है और एक साथ ही कई जाली आईआरसीटीसी यूज़र आईडी को पुश कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप

तत्काल/अन्य बुकिंग काउंटर की खिड़की खुलते ही बड़ी संख्या में जाली आईआरसीटीसी यूज़र आईडी की कतार में आगे हो जाता है और साथ ही गाड़ियों में विभिन्न पुष्टिशुदा टिकटों पर कब्जा कर लेता है। रेल सुरक्षा बल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर कार्रवाई करने के कारण इन सभी अवैध सॉफ्टवेयरों ने काम करना बंद कर दिया है और इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उक्त अवैध सॉफ्टवेयरों को बंद करने के साथ-साथ रेल सुरक्षा बल, आईआरसीटीसी और क्रिस जैसे रेलवे के विभिन्न विभागों ने एकसाथ मिलकर यात्री आरक्षण प्रणाली की सुरक्षा विशेषताओं को अपग्रेड किया है। इससे किन्हीं अन्य सोफ्टवेयरों की कार्यप्रणाली भी बाधित हुई है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि यदि कोई अवैध सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके और ऐसे सॉफ्टवेयर इस प्रकार के कदाचार में संलिप्त नहीं हो सकें।

(घ): जी हां। रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल टिकटों की दलाली संबंधी अवैध गतिविधियों के लिए 13.06.2019 को देश की सभी भारतीय रेलों पर 'ऑपरेशन थंडर' अभियान चलाया गया। यह अभियान पूरे देश के 462 शहरों में चलाया गया और 563 मामले दर्ज किए गए तथा 605 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इस अभियान के दौरान टिकटें बुक करने में उपयोग किए जा रहे आईआरसीटीसी के 3554 नकली निजी उपयोगकर्ताओं की आईडी को निष्क्रिय किया गया।

(ड.): आईआरसीटीसी की आरक्षण साइट को अभेद्य और हैकिंग मुक्त बनाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. कुछ ऐसी जांचें शुरू की गई हैं जिसके यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि व्यक्तियों द्वारा भरे जा रहे फार्म आटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा भरे जा रहे फार्म के साथ तुलनायोग्य हैं।
2. प्रति उपयोगकर्ता कितनी आईआरसीटीसी यूज़र आईडी बन सकती हैं और कितने टिकट बुक किये जा सकते हैं, इसकी सीमा तय है।
3. पंजीकरण, लॉगइन और बुकिंग पेज पर डायनेमिक कैप्चा शुरू किया गया है।
4. अनेक स्तरीय सुरक्षा और मानकीकरण जांच और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा नियमित रूप से लेखा-परीक्षा करना।
5. अग्रिम आरक्षण अवधि बुकिंग और तत्काल बुकिंग खुलने के पहले पंद्रह मिनटों के दौरान टिकटें बुक करने के लिए आईआरसीटीसी के प्राधिकृत एजेंटों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*****